

संपादकीय

हैरान करने वाली इस घटना में महिला को इलाज के नाम पर दस दिनों तक खंभे से बांधकर रखा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उपचार के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस दौर में विज्ञान की उपलब्धियों के सहारे आम जनजीवन की समूची बुनियाद बदलने की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें महज अंधविश्वास की

वजह से किसी की जान चली जाए या लोग अंधविश्वास की जड़ता में डूबे हों, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी।उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते मंगलवार को मानसिक रूप से बीमार एक महिला की मौत इसका उदाहरण है कि हम लाख अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का हवाला देते रहें, समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी अंधविश्वास की कूपमंड़ूकताओं में डूबा

हुआ है और इसके बेहद तकलीफदेह खामियाजाे भी भुगत रहा है।हरान करने वाली इस घटना में महिला को इलाज के नाम पर दस दिनों तक खंभे से बांधकर रखा गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उपचार के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।अगर महिला के परिजनों या वहां के लोगों के बीच बीमारी और इलाज की

सामान्य जानकारी भी होती, तो वे महिला को उपचार के लिए किसी चिकित्सक के पास ले जाते और उसकी जान बच सकती थीं।आज भी झाड़ू-फूंक के सहारे इलाज का अंधविश्वास कायम है, तो आखिर इसकी जड़ें कहां मौजूद हैं? आम लोगों की अमूमन हर गतिविधि को किसी तकनीक पर निर्भर करने और डिजिटल दुनिया के दौर में भी लोगों के ज्ञान का दायरा इतना सिमटा हुआ क्यों है कि वे

किसी बीमारी का इलाज झाड़ू-फूंक या तंत्र-मंत्र में ढूढ़ते हैं?कई बार मानसिक रोगी का मनोचिकित्सक से उपचार नहीं कराया जाता और परिवार के सदस्य ही उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं। समाज से अधिक यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि देश में मानसिक रोग के उपचार के लिए पर्याप्त अस्पताल और चिकित्सक क्यों नहीं हैं।मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज्यादातर लोगों का

जागरूक न होना भी एक बड़ी चुनौती है। हैरानी की बात यह भी है कि तेज रफ्तार जहां अपनी किसी बात या प्रशासनिक फैसले को लागू करने वाले तंत्र को बिना किसी देरी के दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचा देती है, वहीं वह अंधविश्वास की जकड़न से घिरे लोगों के बीच वैज्ञानिक चेतना की रोशनी क्यों नहीं पहुंचाती?

एफसीआरए बिल पर हल्ला मचा रहे विपक्षी दलों और ईसाई संगठनों को मार्को रुबियो का बयान सुनना चाहिए

(नीरज कुमार दुबे)

केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एफसीआरए के तहत पंजीकृत सक्रिय संगठनों की संख्या घटी है, लेकिन विदेशी चंदे का प्रवाह बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में 16,200 संगठनों को लगभग 22,963 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक को लेकर देश में तो इस समय व्यापक बहस छिड़ी ही हुई है, साथ ही इसकी गूँज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले स्वयं यह कह चुके हैं कि किसी भी देश में विदेशी फंड से संचालित संस्थाओं को वहां की संप्रभु सरकार के समानांतर व्यवस्था नहीं चलानी चाहिए और उन्हें मेजबान देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बावजूद अमेरिकी सांसद राइली मूर भारत के प्रस्तावित कानून की आलोचना कर रहे हैं। दूसरी ओर, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उन्हें आश्चस्त किया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं किया जाएगा। इन घटनाक्रमों के बीच मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भारतीय कानूनों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एफसीआरए के तहत पंजीकृत सक्रिय संगठनों की संख्या घटी है, लेकिन विदेशी चंदे का प्रवाह बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में 16,200 संगठनों को लगभग 22,963 करोड़ रुपये के विदेशी योगदान प्राप्त हुआ। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त या समाप्त भी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि केवल वैध पंजीकरण रखने वाले संगठनों को ही विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा लाए गए संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है, नवीनीकृत नहीं होता या संस्था स्वयं उसे छोड़ देती है, तो विदेशी धन से निर्मित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी। यदि बाद में संस्था का पंजीकरण बहाल हो जाता है तो संबंधित संपत्तियां और अप्रयुक्त विदेशी

योगदान वापस कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह व्यवस्था किसी नए अधिकार का सृजन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रावधानों की अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। वहीं प्रस्तावित संशोधन को लेकर कुछ चर्च संगठनों ने आशंकाएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि कानून की कुछ धाराएं अत्यधिक कठोर हैं और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से विभिन्न चर्च संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अमित शाह के साथ बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं का विस्तार से जवाब भी दिया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून किसी विशेष धर्म, समुदाय या विचारधारा को निशाना नहीं बनाता। एफसीआरए के प्रावधान सभी विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले संगठनों पर समान रूप से लागू होते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी संपत्ति का मामला आता है तो उसके धार्मिक स्वरूप को कानूनन सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, नामित प्राधिकरण के आदेश अंतिम नहीं होंगे और उनके विरुद्ध न्यायालय में अपील का अधिकार भी उपलब्ध रहेगा। उधर, इस पूरे विवाद का अंतरराष्ट्रीय पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने आरोप लगाया कि यह कानून चर्चों और ईसाई संस्थाओं के खिलाफ है। हालांकि स्वयं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले वर्ष यह कहा था कि विदेशी सहायता कार्यक्रम मेजबान देशों की सरकारों के समानांतर नहीं चलने चाहिए और विदेशी वित्तपोषित संस्थाओं को संबंधित देश की नीतियों और कानूनों के अनुरूप काम करना चाहिए। यही कारण है कि भारत के संदर्भ में उठ रही आलोचना पर दोहरे मापदंड का प्रश्न भी सामने आया है। देखा जाये तो लोकतंत्र में किसी भी कानून पर बहस और समीक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। यदि कोई संगठन विदेशी चंदे के सहारे पूरी पारदर्शिता और भारतीय कानूनों का पालन करते हुए जनकल्याण का कार्य करता है, तो उसके लिए इस कानून से घबराने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

विचार–पक्ष

इलाज नहीं, अंधविश्वास मिला और एक जिंदगी हार गई

उज्ज्वल है भारत का खेल भविष्य

(डॉ. आशीष वशिष्ठ)

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले भारतीय ओलंपिक संघ और विभिन्न खेल महासंघों की आंतरिक रिपोर्ट में भारत को 6 स्वर्ण समेत 31 पदक मिलने का अनुमान लगाया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने अनुमान से दोगुना से भी ज्यादा स्वर्ण जीते। कुल पदक में भी आगे निकल गए।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। वह पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा। पहली नजर में यह प्रदर्शन बर्मिंघम 2022 के 61 पदक से कमजोर दिख सकता है, लेकिन आंकड़े अलग कहानी बताते हैं। इस बार ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल शामिल थे, जबकि बर्मिंघम में 19 खेल खेले गए थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल ग्लासगो गेम्स का हिस्सा नहीं थे, जिनसे 2022 में भारत को 30 पदक मिले थे। इसके अलावा भारत ने 210 खिलाड़ियों की जगह सिर्फ 123 खिलाड़ियों का दल भेजा। इनमें से 38 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे, यानी सफलता की दर 31 प्रतिशत रही। बर्मिंघम में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत था।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले भारतीय ओलंपिक संघ और विभिन्न खेल महासंघों की आंतरिक रिपोर्ट में भारत को 6 स्वर्ण समेत 31 पदक मिलने का अनुमान लगाया गया था। भारतीय खिलाड़ियों ने अनुमान से दोगुना से भी ज्यादा स्वर्ण जीते। कुल पदक में भी आगे निकल गए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा। 14 मुक़ेबाजों के दल में से 10 खिलाड़ी पदक जीतकर लौटे। इसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत शामिल रहे। यानी 71 प्रतिशत मेडल कन्वर्जन रेट। बर्मिंघम 2022 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत था। पदक वितरण समारोह के दौरान सात बार भारत का राष्टान बजना न सिर्फ ग्लासगो में मौजूद भारतीय दर्शकों के लिए गर्व का पल था, बल्कि इस बात का सबूत भी था कि इस गैर-पारंपरिक खेल को गांवों और छोटे कस्बों तक ले जाने की पहल काफी हद तक सफल रही है। भारतीय बॉक्सरों के प्रदर्शन की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है।

जूडो में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में स्वर्ण जीता। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण जीता। यामिनी मोर्घे ने रजत और उज्ज्वित शर्मा ने कांस्य जीतकर कुल चार पदक भारत की झोली में डाले। हालांकि 14 सदस्यीय भारतीय टीम के दो खिलाड़ी अरुण कुमार और तुलिका मान डोपिंग के कारण बाहर हो गए। इसी तरह, एथलीटों और पैरा-एथलीटों ने 16 पदक जीते। इनमें से कुछ ने तो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए।

वेटलिफ्टर्स ने आठ और पदक जीते। इन पदकों में ओलंपियन मीराबाई चानू का जीता हुआ एक स्वर्ण पदक भी शामिल था, जिससे उन्होंने स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी की; मणिपुर की इस एथलीट ने इससे पहले 2018 गोल্ড कोस्ट और 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भी स्वर्ण पदक जीता था। असल में, मीराबाई चानू की शानदार कामयाबी के बावजूद, भारतीय वेटलिफ्टरों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इस निराशा की एक वजह यह है कि डोपिंग के आरोपों के कारण कम से कम दो भारतीय वेटलिफ्टरों की एंट्री वापस लेनी पड़ी। छह अन्य खिलाड़ी-कड़ी टेकर न होने के बावजूद-लड़ने के जज्बे की कमी या तकनीकी गलतियों की वजह से स्वर्ण पदक जीतने का मौका चूक गए।

एथलेटिक्स ने भारत को 10 पदक दिलाए, लेकिन एक भी स्वर्ण नहीं आया। नीरज चोपड़ा रजत जीत सके। उनके साथ डेब्यू कर रहे यशवीर सिंह ने कांस्य जीता। गुलवीर सिंह ने 10 हजार मीटर में सिल्वर और 5 हजार मीटर रैस में कांस्य जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में दो पदक जीतने वाले वह भारत के पहले खिलाड़ी भी बनें। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलन में भारत का पहला राष्ट्रमंडल पदक दिलाया। सरवेश कशारे, श्रीशंकर,

प्रवीण चित्रावेल और सीमा कालीरामना भी पदक जीतने में सफल रहे। हालांकि स्पिंट और रिले टीम से बड़ी उम्मीदें थीं, वह खाली हाथ रही।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासन में देश में खेलों का संस्थागत विकास तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार यह दोहराया है कि खेल देश में एकता बढ़ाने, युवाओं को प्रेरित करने और भारत को एक आत्मविश्वासी और उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी यह सोच कार्यों में भी दिखाई देती है, जैसे कि 'खेलो इंडिया' और 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉपस' जैसे प्रमुख



कार्यक्रमों के माध्यम से। इन पहलों ने देश में खेलों की पूरी व्यवस्था को नया रूप दिया है और भारत को खेलकूद के प्रति समर्पित एक राष्ट्र बना दिया है। इन योजनाओं के कारण भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर वित्तीय सहायता, आधुनिक प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिला है, जिसके परिणामस्वरूप ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार सुधरा है।

नई प्रतिभाओं को पदक जीतने वाले खिलाड़ी में बदलने में खेलो इंडिया कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 2781 से अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार ने खेलो इंडिया योजना पर 36,441 करोड़ रुपये का भारी निवेश मंजूर किया है। वर्ष 2026-31 के लिए संशोधित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खेल महासंघों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी जा रही है।

देश के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों से भी उभरती प्रतिभाओं को खोजा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधाएं देने के लिए देशभर में 1041 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही, 32 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 301 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है, जिससे खेलों का पूरा इकोसिस्टम और मजबूत हुआ है। खेलो इंडिया सीआई में खिलाड़ियों को विशेषज्ञ कोचिंग,

किसी एथलीट या खिलाड़ी की काबिलियत और कड़ी मेहनत की असली परीक्षा एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में होती है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए मेडल का महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। इस बार युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है कि भारत का खेल भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्ज्वल दिख रहा है, कई खेलों में नई पीढ़ी के टैलेंटेड एथलीट सुर्खियां बटोर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रतियोगिता में किए गए प्रदर्शन को आम तौर पर भविष्य में सुधार के पैमाने और अपनी खूबियों व कमियों के आकलन के तौर पर देखा जाता है।

राष्ट्रमंडल खेल के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन करने पर है। 20 वें एशियाई खेल का आगाज 19 सितंबर से जापान के नागोया में होगा। भारत इस बार हांगजो 2022 के अपने ऐतिहासिक 107 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगा। इसीलिए भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेल में अपने प्रदर्शन पर गर्व करते हुए एशियन गेम्स में पेश आने वाली चुनौतियों के हिसाब से बिना एक भी पल गवाएं तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब विदेशी धरती पर तिरंगा लहरता है और जन-गण-मन गूंजता है, तो वह पल केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव बन जाता है। (लेखक स्वतंत्र पत्रकार है) (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मिनीमाता : छत्तीसगढ़ की ममतामयी, जिन्होंने सामाजिक न्याय और महिला सम्मान के लिए जीवन समर्पित किया

11 अगस्त पुण्यतिथि विशेष : संघर्ष, सेवा और सामाजिक चेतना की अमर मिसाल हैं मिनीमाता

छत्तीसगढ़ को सामाजिक चेतना, महिला सम्मान और दलित-शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में मिनीमाता का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। सादगी, करुणा, सेवा और सामाजिक न्याय को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाली मिनीमाता को छत्तीसगढ़ की जनता स्नेहपूर्वक 'ममता माई' के नाम से याद करती है। 11 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेशभर में उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है।

असम से छत्तीसगढ़ तक का सफर

मिनीमाता अगमदास गुरु का जन्म 11 मार्च 1913 को असम के नौगांव जिले के जमुनामुख ग्राम में हुआ था, उसका मूल नाम मोनाक्षी देवी था। उनका विवाह छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगमदास गुरु से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपनी कर्मभूमि बनाया और यहां के सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ गईं।

उस दौर में समाज में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, महिलाओं की अशिक्षा और अनेक सामाजिक कुरीतियां मौजूद थीं। मिनीमाता ने इन परिस्थितियों को केवल देखा नहीं, बल्कि इनके खिलाफ लगातार आवाज उठाई। उनका निधन 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते समय एक विमान दुर्घटना में हुआ था। उनके निधन के बाद सम्मान में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम मिनीमाता के नाम से रखा गया था।

महिला शिक्षा और सम्मान की प्रबल समर्थक

मिनीमाता का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के बिना संभव नहीं है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने, उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक बनाने तथा आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनके प्रयासों ने उस समय समाज में नई जागरूकता पैदा की।

अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष

मिनीमाता ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव का खुलकर विरोध किया। वे समाज में समानता और मानवीय गरिमा की पक्षधर थीं। उनका सार्वजनिक जीवन इस विचार से प्रेरित रहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने दलित, गरीब और कमजोर वर्गों की समस्याओं को राजनीतिक एवं सामाजिक मंचों तक पहुंचाने का काम किया। उनके लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम थी।



संसद तक पहुंची छत्तीसगढ़ की आवाज

ममतामयी मिनीमाता पहली बार वर्ष 1955 में सांसद बनी थीं। अपने पति गुरु अगमदास के निधन के बाद हुए उपचुनाव में वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहली लोकसभा के लिए संसद सदस्य चुनी गईं। इसके बाद वह लगातार पांचवें कार्यकाल (1971 तक) तक लोकसभा सांसद रहीं। मिनीमाता ने सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे लोकसभा की सदस्य चुनी गईं और संसद में छत्तीसगढ़ तथा वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया।

संसद में उन्होंने सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, शिक्षा, श्रमिकों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी उनका योगदान प्रेरणादायक रहा।

सरल जीवन, संवेदनशील व्यक्तित्व

मिनीमाता का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे आम लोगों से सहजता से मिलती थीं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनती थीं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति उनके मन में विशेष संवेदना थी।

यही कारण है कि वे केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि समाज की 'ममता माई' के रूप में लोकप्रिय हुईं। उनके व्यक्तित्व में राजनीतिक सक्रियता के साथ मानवीय संवेदना और सेवा भावना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता था।

समाज सुधार की प्रेरणास्रोत

मिनीमाता का जीवन उस दौर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बना, जब महिलाओं का सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में आना आसान नहीं था। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपने कार्यों से यह संदेश दिया कि महिलाएं समाज परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती हैं।

उनका संघर्ष केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। वे सामाजिक समानता, शिक्षा, महिला सम्मान और कमजोर वर्गों के अधिकारों की व्यापक समर्थक थीं।

मिनीमाता का अमर संदेश

मिनीमाता का जीवन आज भी समाज को यह संदेश देता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों से नहीं, बल्कि जनजागरण और संवेदनशील सोच से संभव होता है। उन्होंने अपने जीवन में सेवा, समानता और मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया। आज जब समाज शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब मिनीमाता के विचार और संघर्ष और भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं।

11 अगस्त : पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

11 अगस्त को मिनीमाता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक योगदान को याद किया जाता है। उनकी पुण्यतिथि केवल एक महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव सम्मान के उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का दिन भी है।

छत्तीसगढ़ की धरती पर सामाजिक न्याय, महिला सम्मान और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

ममता, सेवा, समानता और संघर्ष की प्रतीक मिनीमाता का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।

मिनीमाता को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन ।

संक्षिप्त समाचार

सखी महिला समूह द्वारा सावन पर्व का उत्साहपूर्ण आयोजन



बिलासपुर । सखी महिला समूह, एस.ई.सी.एल, नर्मदा क्लब, वसंत विहार द्वारा दिनांक 06 अगस्त 2026 को सावन पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समूह की सभी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई तथा गुलाबी रंग की साड़ी धारण कर पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। महिलाओं ने एक-दूसरे को हरी चूड़ियां पहनाकर पारंपरिक सौहार्द का परिचय दिया एवं सुहाग सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, साथ ही संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को आनंदमय बना दिया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम का सफ़्त संचालन एवं नेतृत्व समूह की सचिव श्रीमती खुशी क्षत्रिय , उप सचिव श्रीमती मोना कामले , कोषाध्यक्ष श्रीमती बिन्नी कुर्रे तथा सांस्कृतिक सचिव श्रीमती करुणा साहू द्वारा किया गया। अंत में कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण वातावरण में किया गया।

जयरामनगर स्टेशन में चलाया गया औचक टिकट चेकिंग अभियान



बिलासपुर । टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की रोकथाम तथा स्टेशनों में यात्रियों को रेलवे नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री डी एस चौहान के नेतृत्व में जयरामनगर स्टेशन में कल दिनांक 08 अगस्त 2026 को औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, टीटीई स्टॉफ तथा आरपीएफ स्टॉफ शामिल थे। इस दौरान जयरामनगर स्टेशन एवं यहां से गुजरने वाली 26 गाड़ियों में औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया 7 इस अभियान में कुल 297 मामलों से 1 लाख 94 हजार 620 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए । जिसमें बिना टिकट के 245 मामले से 1,80,250 रुपए, अनियमित टिकट के 17 मामले से 10,670 रुपए तथा बिना बुक किए गए लगेज के 35 मामले से 3,700 रुपए काट लिए। इस रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के लिए उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश से पूर्व प्लेटफर्म टिकट अवश्य खरीदें। एक प्लेटफर्म से दूसरे प्लेटफर्म पर जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग करें। रेलगाड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें।

श्रावण मास पर मातृ गोष्ठी का आयोजन समपन्न हुआ

बिलासपुर । सरस्वती शिशु मंदिर, राजकिशोर नगर, बिलासपुर में सावन माह के पावन अवसर पर मातृ गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय से जुड़ी माताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। भजन-कीर्तन और भक्तिमय वातावरण के बीच माताओं ने सनातन संस्कृति एवं परंपराओं से बच्चों को जोड़ने की दिशा में विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मातृ गोष्ठी के दौरान माताओं ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सावन के पावन महीने में आयोजित इस कार्यक्रम ने माताओं को एक-दूसरे से जुड़ने और भारतीय संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में व्याख्याता श्रीमती प्रीतिबाला पटेल एवं श्रीमती आनंदी दुवे का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा तथा व्याख्याता रमाकांत मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सफलता की कहानी : सरस्वती साइकिल योजना से हसिका के लिए शिक्षा की राह हुई आसान

बिलासपुर । किसी भी बेटों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि विद्यालय तक सहज पहुंच भी उतनी ही आवश्यक होती है। छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना इसी सोच को साकार कर रही है। यह योजना बेटियों को केवल साइकिल ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समय की बचत और शिक्षा की नई दिशा भी दे रही है। जिले के स्वामी आत्मानंद उक्तूछ हिंदी माध्यम विद्यालय, चक्रभाठा की कक्षा 9वीं की छात्रा हसिका नेताम इसकी जीवंत मिसाल हैं। हसिका बताती हैं कि पहले विद्यालय आने-जाने में उन्हें काफी परेशानी होती थी। घर से स्कूल की दूरी तय करने में अधिक समय लग जाता था। कई बार समय पर विद्यालय पहुंचना भी चुनौती बन जाता था, जिससे पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता था। प्रतिदिन लंबी दूरी तय करने से थकान भी महसूस होती थी। सरस्वती साइकिल योजना के तहत नि:शुल्क साइकिल मिलने के बाद हसिका की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। अब वे कम समय में आसानी से विद्यालय पहुंच जाती हैं। पहले जहां स्कूल पहुंचने में काफी समय लगता था, वहीं अब घंटों की दूरी कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। समय की बचत होने से उन्हें पढ़ाई, गृहकार्य, खेलकूद तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। नियमित रूप से विद्यालय पहुंचने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह पहले से कहीं अधिक हो गया है। हसिका कहती हैं कि साइकिल मिलने से उन्हें आत्मनिर्भर होने का एहसास हुआ है। अब वे बिना किसी पर निर्भर हुए स्वयं विद्यालय आती-जाती हैं। इससे उनके परिवार को भी राहत मिली है।

देश-विदेश

बैठक से नदारद चार अधिकारियों को शो-काँज नोटिस

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्ययोजना बनाएं विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्ता हो: उपमुख्यमंत्री अरूण साव..

■ सड़क पर बिजली खंभे

लगाने के मामले में प्रभारी मंत्री सख्त, जांच के निर्देश

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव ने कहा है कि समय की मांग बदल रही है, इसलिए अधिकारी वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर दूरदर्शी कार्ययोजना बनाएं। विकास कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में विलंब को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करने की बात कही। श्री साव आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों

की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल सहित सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्री साव ने बिल्हा के बरतोरी से मोहतरा मार्ग पर सड़क के बीच बिजली के खंभे खड़े किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पंचायत सीईओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए



जाने पर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले चार अधिकारियों के प्रति भी प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने बिल्हा, कोटा और तखतपुर जनपद पंचायत के सीईओ तथा रतनपुर नगरपालिका के सीएमओ को शो-काँज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने

विभागों के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करते रहने और मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। श्री साव ने कहा कि बिलासपुर शहर में पहली ही बारिश में जलभराव की स्थिति सामने आई है। इससे निपटने के लिए अभी से ऐसी बेहतर और स्थायी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे आने वाले वर्षों में शहरवासियों को इस

समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कों पर गड़्ढे और क्षति की स्थिति बनती है। विभागीय अधिकारी इसकी तैयारी अभी से रखें, ताकि बारिश समाप्त होते ही सड़कों को मरम्मत और सुधार कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। उन्होंने निर्माण विभागों की अलग से बैठक लेकर कार्यों की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने मलेरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने गांव स्तर पर लगातार निगरानी रखने तथा मितानिन स्तर तक आवश्यक एवं मूलभूत दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गैलेक्सी एआई को आगे बढ़ाने में भारतीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका बढ़ी, प्रीमियम स्मार्टफोन अब मेट्रो शहरों से बाहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं: सैमसंग इंडिया

गुरुग्राम - सैमसंग इंडिया ने अपने नोएडा और बंगलुरु स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर के बढ़ते योगदान के बारे में बताया है, जो गैलेक्सी एआई को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भारत में बनी तकनीकें अब सैमसंग के दुनिया भर के एआई प्लान का हिस्सा बनती जा रही हैं। गैलेक्सी Z फोल्ड8 अल्ट्रा,

गैलेक्सी Z फोल्ड8 और गैलेक्सीZ फ्लिप8 के सफल लॉन्च के बाद, सैमसंग ने कहा कि उसके भारतीय इंजीनियर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एआई एक्सपीरियंस बना रहे हैं। कंपनी का कहना है कि भारत के आर एंड डी सेंटर से मिली जानकारी गैलेक्सी एआई के फ़ीचर बनाने में

मदद कर रही है, जो सैमसंग के दुनिया भर के इनोवेशन नेटवर्क में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेबी पार्क ने कहा कि भारत में सैमसंग के इंजीनियर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

प्ररूप- (तीन)	प्ररूप- (तीन)
समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना	समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना
नाबालिग पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित)	नाबालिग पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित)
मैं रही पति मनोज साहू उम्र 46 वर्ष, जाति तेली (माता/पिता/ पालक का नाम) निवासी, ग्राम बिलई, तहसील व जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र का नाम दुर्गेश (DURGESH) (पुराना नाम) से बदल कर टोपेन्द्र कुमार साहू (TOPENDRA KUMAR SAHU) (नया नाम) रख लिया है ।	मैं देवानंद देवांगन पिता बिसौहा देवांगन आयु 30 वर्ष, जाति कोष्ट, (माता / पिता / पालक का नाम) निवासी ग्राम बीजाभाट , स. नं. 192 जय स्तम्भ चौक, पोस्ट बीजाभाट, तहसील व जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्री का नाम दिव्या देवांगन (DITYA DEWANGAN) (पुराना नाम) से बदल कर दिव्या देवांगन (DIVYA DEWANGAN) (नया नाम) रख लिया है ।
राही टोपेन्द्र कुमार साहू (TOPENDRA KUMAR SAHU) (ना. बा.) की ओर से अभिभावक / पिता / माता नाम-रही	देवानंद देवांगन दिव्या देवांगन (DIVYA DEWANGAN) (ना. बा.) की ओर से अभिभावक / पिता / माता नाम- देवानंद देवांगन

प्ररूप- (तीन) समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना स्वयं के नाम परिवर्तन के मामले में

मैं सविता बाई यादव (SAVITA BAI YADAV) (पुराना नाम जिसे बदला जाना है) पत्नी संतराम यादव आयु 36 वर्ष, जाति राऊत, निवासी ग्राम चारभाठा, पो. झाल, तहसील, व जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना नाम सविता बाई यादव (SAVITA BAI YADAV) (पुराना नाम) से बदल कर संगीता बाई यादव (SANGITA BAI YADAV) (नया नाम) रख लिया है।

संगीता यादव हस्ताक्षर (पुराने नाम से) सविता बाई यादव (SAVITA BAI YADAV)

प्ररूप- (तीन) समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना नाबालिग पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं उमेन्द्र साहू पिता हेमा साहू आयु 42 वर्ष, (माता / पिता / पालक का नाम) जाति तेली, निवासी सिधौरी, पोस्ट, तहसील व जिला बेमेतरा (छ.ग.) राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र का नाम टिकेन्द्र साहू (TIKENDR SAHU) (पुराना नाम) से बदल कर टिकेश्वर साहू (TIKESH-WAR SAHU) (नया नाम) रख लिया है टिकेश्वर साहू (TIKESHWAR SAHU) (ना. बा.) की ओर से अभिभावक / पिता / माता नाम - उमेन्द्र साहू

प्ररूप- (तीन) शपथ पत्र (नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन के मामले में)

मैं गंगो कुहरामी (माता/पिता पालक का नाम) सुपुत्र / पिता रामो कुहरामी

निवासी – गडमरी पारा दरभा, एतद्द्वारा पूर्णतः पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार घोषित करता हूँ।

- मैं ग्राम गडमरी पारा दरभा तहसील कुटरू, जिला बीजापुर (छ०ग०) का स्थायी निवासी हूँ।
- मैं अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री सोनम कुहरामी (SONAM KUHRAMI) से बदलकर कविता कुहरामी (KAVITA KUHRAMI) करवाना चाहती हूँ।
- मैं अपने पुत्र / पुत्री नाम का नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता/करती हूँ तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
- मैं अपने पुत्र / पुत्री सोनम कुहरामी (SONAM KUHRA-MI) को हमारे / हमारी नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है।
- मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशो हवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ ।

गंगो माता/पिता / पालक के हस्ताक्षर

प्ररूप- (तीन) शपथ पत्र (नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम परिवर्तन के मामले में)

मैं अभिभावक कोसा राम माड़वी, (KOSA RAM MADVI), (माता / पिता/पति / पालक का नाम) सुपुत्र / पिता कुम्मा माड़वी, (KUMMA MADVI), निवासी- चिनोर, एतद्वारा मैं पूर्णतः पुष्टि करता हूँ तथा निम्नानुसार घोषित करता हूँ।

- ग्राम-चिनोर, तह० – कुटरू, जिला बीजापुर छ०ग०, का स्थायी निवासी हूँ।
- मैं अपने नाबालिग पुत्र माडडा राम माड़वी, (MADDA RAM MADVI), से बदलकर राजूराम माड़वी, (RAJURAM MADVI), करवाना चाहता हूँ।
- मैं अपने पुत्र / पुत्री का नाम बदलकर, यदि कोई गैर कानूनी काम कराता/करती हूँ तो उसके लिए स्वंय जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
- मेरी पुत्री/पुत्र माडडा राम माड़वी, (MADDA RAM MADVI), को हमारे/हमारी नाबालिग पुत्र / पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है।
- मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रही / रहा हूँ ।

कोसा राम माड़वी माता/पिता / पालक के हस्ताक्षर

!न्यायालय तहसीलदार, तहसील - नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ०ग०) !!

// ईश्टहार // एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राधा बाई पति श्रीकांत दीवान जाति बनिया निवासी ग्राम हाथाडांडू (KUMMA MADVI), निवासी- नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० के द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक के पति श्रीकांत दीवान पिता फगूराम दीवान का मृत्यु दिनांक 10/02/2002 को ग्राम हाथाडांडू तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा में होना बताया गया है, अज्ञानता वश उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है, अब मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है ग्राम पंचायत हाथाडांडू को मृत्यु पंजीयन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किया जावे। अतएव उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 11/08/2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 27/7/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार नवागढ़ जिला-बेमेतरा

मुहर

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बकावण्ड, जिला- बस्तर (छ.ग.)

// उद्घोषणा // रा०प्र०क्र० 1154 / अ-121 / 2025-26 इस उद्घोषणा के जरिए आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष बघेल पिता स्व० श्यासुंदर जाति भतरा निवासी ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर ने अपने चाचा स्व० चन्द्रो पिता स्व० बलीराम ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पेश किया है । अतः आवेदक के चाचा स्व० चन्द्रो पिता स्व० बलीराम ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु दिनांक 31/03/2011 (इकतीस मार्च सन दो हजार ग्यारह) को ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर में हुआ है। आवेदक मनीष बघेल पिता स्व० श्यासुंदर जाति भतरा निवासी ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पेश किया है । अतः आवेदक के चाचा स्व० चन्द्रो पिता स्व० बलीराम ग्राम किंजोली तहसील बकावण्ड जिला बस्तर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा / आपत्ति हो तो वह अपना दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिकका के मार्फत प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 20/08/2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के बाद प्राप्त अथावेदन पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। आज दिनांक 05/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

तहसीलदार बकावण्ड, जिला- बस्तर

मुहर

